

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सिंघा ३-९-पापला खुर्द


क्रमांक:-लो.अदा./2018/1416

प्रकरण सं:- 88/2018

दिनांक:- 11.6.18

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पापला खुर्द व भू.अ.नि. पापला कुल्ला
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम निम्बली
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-73 में खाता संख्या 35 में
वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि चतरुदेवी पानि विभाग के स्थान पर चतरुदेवी पानि
वेहवाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1417-19

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्रीमति चतरुदेवी वेहवाराम निवासी निम्बली तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी